प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 31.08.2024

थाना मसूरी पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2024 को वादी अकबर पुत्र जमात अली निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी कमि0 गाजियाबाद द्वारा थाना मसूरी पर प्रार्थना पत्र दिया कि मेरी पुत्री ने अपनी इच्छा से ग्राम नाहल के रहने वाले फुरकान पुत्र सरीफ उम्र करीब 23 वर्ष से करीब 06 माह पूर्व लव मैरिज की थी। फुरकान मेरी पुत्री से शादी के बाद से ही दहेज की माँग करता था कि तेरे पिता ने दहेज में मोटर साइकिल तथा रुपये नहीं दिये है, अपने पिता से रुपये व मोटर साइकिल लेकर आ नही तो तुझे छोड दूँगा, यह बात मेरी पुत्री ने मुझे बताई तो मैने फुरकान को कई बार समझाया कि मेरी हैसियत मोटरसाइकिल व रुपये देने की नही है। दिनांक 30-08-2024 को मेरी पुत्री ने बार-बार दहेज मांगने से आहत होकर सुबह 05 बजे करीब कमरे की चौखट से फाँसी लगा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गई। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना मसूरी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी। तत्पश्चात दिनांक 30.08.2024 को थाना मसूरी पुलिस टीम द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त घटना में नामित/वांछित अभियुक्त फुरकान पुत्र सरीफ निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त फुरकान ने अपने बचाव में बताया कि मैं सानिया को करीब डेढ़ साल पहले मिला था तथा लगभग एक साल मेरी उससे बात हुयी और फिर लगभग 06 माह बाद मेरी शादी (लव मैरिज) सनिया के साथ हुयी थी। मेरी शादी से पहले मेरे घरवालों ने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। शादी के बाद से ही मेरी पत्नी घर में क्लेश करती रहती थी और झगडा करके मायके चली जाती थी फिर रिश्तेदारो के हस्तक्षेप से सुलह कर आ जाती थी। मैं झगडा शान्त करने के लिये अपनी ससुराल में भी किराये पर रहा। मेरी पत्नी सानिया बहुत गुस्सा करने वाली महिला थी, छोटी-छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। दिनांक 29.08.2024 को शाम समय करीब 8.00 बजे मैंने अपनी पत्नी के साथ खाना खाया और मेरे शरीर में दर्द था तो मैं दवा खाकर सो गया था। जब मैं सुबह करीब 5.00 बजे मकान मालिक व किरायेदारों ने शोर मचाया तो मेरी आँख खुली तो मैने देखा कि मेरी पत्नी सानिया ने कमरे की चौखट में अपने ही दुपट्टे से गले में फाँसी का फंदा डालकर आत्म हत्या कर ली है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

फुरकान पुत्र सरीफ निवासी नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद, उम्र करीब- 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मसूरी पर दहेज हत्या की घटना के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया, अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है,

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

थाना मसूरी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 30.08.2024 को थाना अंकुर विहार पर पीडिता/ वादिया ने एक तहरीर अभियुक्त नदीम उर्फ अमित शर्मा पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात द्वारा अपना नाम छिपाकर बलात्कार करना और गर्भपात कराना तथा अभियुक्त नदीम द्वारा अभियुक्त अतिक पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात से कुछ पैसे लेकर अतिक से वादिया का जबरन निकाह करा देना और अतिक द्वारा वादिया के साथ जबरदस्ती सम्बन्ध बनाना और जब अतिक का बच्चा पेट में पलने लगा तो अतिक द्वारा वादिया का गर्भपात करा देना तथा अभियुक्त हसरत द्वारा वादिया के साथ मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में दाखिल की, जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था। थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई एवं आज दिनांक 31.08.2024 को अभियुक्त अतीक अहमद पुत्र अंगन अली निवासी ग्राम नैलोल बागवाला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को सभापुर कट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया कि नदीम पुत्र अशफाक मेरा दोस्त है, और हम दोनों का आपस में उठाना बैठना तथा एक दूसरे के घर आना जाना था। मुकदमा उपरोक्त की वादिया एक सिलाई का कारखाना चलाती थी। उसी दौरान प्रोपर्टी के लेन-देन के सम्बन्ध में नदीम की मुलाकात मुकदमा उपरोक्त की वादिया के साथ हुई और उसने उसके साथ जबदस्ती सम्बन्ध बनाए और उसके साथ निकाह कर लिया। फिर उसके बाद मैनें भी वादिया के साथ जबदस्ती सम्बन्ध बनाए और उसके बाद नदीम ने मुकदमा उपरोक्त की वादिया की मर्जी के खिलाफ उसका निकाह मेरे साथ करा दिया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –</u>

अतीक अहमद पुत्र अंगन अली निवासी ग्राम नैलोल बागवाला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ, उम्र करीब 42 वर्ष

<u>पंजीकृत अभियोग व अभियुक्त का आपराधिक इतिहास का विवरणः-</u>

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर 01 अभियोग व थाना जरीफनगर जनपद बदांयु पर 01 पंजीकृत हैं।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम –</u>

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.08.2024 को थाना वेव सिटी पर वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त मुखतार पुत्र सलीम द्वारा वादी की नाबालिक बहन को बहला फुसलाकर कही ले जाने के सम्बन्ध में थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना स्तर से दो टीम गठित कर त्वरित अपहर्ता की बरामदगी एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों को रवाना किया गया। काफी प्रयास के बाद मैनुअल इनपुट की मदद से अभियुक्त मौ0 मुखतार आलम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सलीम निवासी मूल पता ग्राम कठौरा पोस्ट जहांगीर टोला थाना गंगौर जिला खगड़िया बिहार हाल पता दिनेश का किराये का मकान ग्राम बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद को आज दिनांक 31.08.2024 को हाईटेक चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। पीडिता/अपहर्ता को पूर्व में ही बरामद कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरणः-</u>

अभियुक्त मुखतार उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं उपरोक्त लड़की से काफी समय से फोन पर बात करता था। दिनांक 24.08.2024 को मैं उपरोक्त लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले गया था। तबसे हम लोग साथ में ही रह रहे थे।

<u>गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम पताः-</u>
मौ0 मुखतार आलम उम्र करीब 19 वर्ष पुत्र सलीम निवासी मूल पता ग्राम कठौरा पोस्ट जहांगीर टोला थाना गंगौर जिला खगड़िया बिहार हाल पता दिनेश का किराये का मकान ग्राम बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>
थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा मोबाइल फोन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का मोबाइल फोन बरामद।

दिनांक 30.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि उसके घर क्रिश्ननगर बागू थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से अज्ञात चोर द्वारा घर के अंदर रखे 02 मोबाइल TECHO KFB SPARK 7 व MI कम्पनी के चोरी कर लिये गये हैं। इस सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया तथा चोरी गये मोबाइल व अज्ञात अभियुक्त का पता लगाने का प्रयास किया गया।

दिनांक 30.08.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवम पुत्र चन्द्र प्रकाश नि0 सर्वोदय कालोनी बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष को रिछपाल गढी की पुलिया के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से उपरोक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित चोरी का 01 मोबाइल फोन TECHO KFB SPARK 7 कम्पनी का बरामद हुआ। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण–</u>
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि करीब 02 माह पूर्व की सुबह के समय में क्रिश्ननगर बागू क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में चोरी की फिराक मे घूम रहा था वहां देखा कि एक मकान का गेट खुला था तथा अंदर से कोई आवाज नही आ रही थी। मैं घर के अंदर चुपके से चला गया। वहां पर एक व्यक्ति सोया हुआ था तथा उसके पास 02 मोबाइल फोन रखे हुए थे। मैनें उन दोनों फोनो को वहां से उठा लिया तथा चुप चाप घर से निकल गया। उन दोनों फोनों में से मैनें एक फोन MI कम्पनी का एक चलते फिरते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर बेच दिया तथा उस फोन से जो रुपये आये थे मैनें अपनी मौज मस्ती में उडा दिये तथा दूसरा फोन मैं अपने लिये चला रहा था कि पुलिस द्वारा मुझे पकड लिया गया।

<u>नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–</u>
शिवम पुत्र चन्द्र प्रकाश निवासी सर्वोदय कालोनी बिहारीपुरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उम्र करीब 27 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>
01 चोरी का मोबाइल फोन TECHO KFB SPARK 7 कम्पनी का रंग डार्क नीला बरामद

<u>अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-</u>
उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-</u>
थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा करीब 09 वर्षों से गुमशुदा की सकुशल बरामदगी की गयी।

आज दिनांक 31.08.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वर्ष-2015 से गुमशुदा राकेश पुत्र श्री धर्मपाल सिह निवासी ग्राम सकलपुरा थाना लोनी गा0बाद उम्र 40 वर्ष जिनकी करीब 09 वर्ष पहले 13.09.2015 को थाना लोनी पर घर से बिना बताये चले जाने के सम्बध में सूचना दी गयी जिसके सम्बध मे थाना लोनी पर गुमशुदा उपरोक्त के सम्बध मे गुमशुदगी पंजीकृत की गयी थी। जिसमे थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा करीब 09 वर्षो से गुमशुदा राकेश को फैसबुक की एक विडियो मे हाथ पर जले के निशान की परिवार जनों से शिनाख्त करायी गयी व उच्च अधिकारीगणों के निर्देशन में त्वरित कार्यवाही करते हुए गुमशुदा राकेश की तलाश हेतु पुलिस टीम गठित की गयी व फेसबुक पर डाली गयी विडियो का नम्बर की डिटेल निकलवाकर जनपद शाहजहाँपुर से थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा सन् 2015 (करीब 09 वर्षों) से गुमशुदा राकेश उपरोक्त को सकुशल तलाश कर परिवारीजन के सुपुर्द किया गया।

<u>बरामदगी करने वाली टीम</u>

पुलिस टीम थाना लोनी गा0बाद

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 09.08.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर मुकदमा वादिया द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ छेड़छाड़ करना व वादिया के विरोध करने पर अभि0 द्वारा जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ जिसके सम्बन्ध में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। वादिया के धारा 180 बी.एन.एस.एस व 183 बी.एन.एन.एस के बयानो व मेडिकल के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 64(2)(m) B.N.S की वृद्धि की गयी।

दिनांक 30.08.2024 को मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रहमद पुत्र जाहिद निवासी रामपार्क एक्सटेन्शन गली न0 10 सुधीर एन्कलेव थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष को 50 फुटा रोड रामपार्क से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्त रहमद ने पूछने पर बताया कि मैं वादिया को करीब 04 साल से जानता हूँ। मेरे व वादिया के बीच आपस में सम्बन्ध रहे हैं। शादी की मना करने पर वादिया ने मेरे खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-</u>

रहमद पुत्र जाहिद निवासी रामपार्क एक्सटेन्शन गली न0 10 सुधीर एन्कलेव थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीव 21 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास</u>

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट गाज़ियाबाद द्वारा झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही लगभग 55 लाख रुपए कीमत की 2.160 किलोग्राम अफीम सहित एक अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार

दिनांक- 30/08/24 को क्राइम ब्रान्च पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सर्विस रोड रेलवे स्टेशन मुरादनगर थाना मुरादनगर क्षेत्र से झारखण्ड से तस्करी कर लाई जा रही 2.160 किलोग्राम अफीम सहित 01 अन्तर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की गई है। अफीम तस्कर से बरामद 2.160 किलोग्राम अफीम की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 55 लाख रूपये है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ पर अभियुक्त राहुल कुमार डांगी ने बताया कि वह झारखण्ड के चतरा जिला का रहने वाला हैं और 12वी पास है तथा ग्राम में खेतों में मजदूरी तथा ट्रैक्टर पर ड्राईवरी का काम करता था पूरे दिन काम के बाद सिर्फ 300रू0 मिलते थे कभी काम होता था कभी नहीं होता था जिससे परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा था इसी बीच उसकी मुलाकात उसके हजारी बाग चतरा झारखण्ड के रहने वाले प्रीतम से हुई जो उसके स्कूल का दोस्त था प्रीतम ने उसे बताया कि अफीम को दिल्ली एन0सी0आर0, हरियाणा व पंजाब में ले जाकर देने पर प्रति चक्कर रू0 20,000/- मिलेंगे इस पर राहुल उपरोक्त तैयार हो गया और एक दो बार किसी दूसरे व्यक्ति के साथ पंजाब व हरियाणा आकर सप्लाई किया जिसमें प्रति चक्कर उसे रू0 20,000/- मिले। इसके बाद राहुल उपरोक्त स्वयं अवैध अफीम की तस्करी झारखण्ड से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली एन0सी0आर0 मे जाकर करने लगा इस काम में उसको काफी फायदा होने लगा। अभियुक्त राहुल कुमार डांगी ने बताया कि उसे अफीम की जितनी डिमाण्ड मिलती है उतना ही माल लेकर वह बस व ट्रेन से बदल-बदल कर अलग-अलग रूट से आता हैं, जिस व्यक्ति को माल देना होता है उससे डिलिवरी देने की जगह राहुल पहले ही तय कर लेता हैं कि माल कहाँ, कब और कितने बजे देना है। जब राहुल उपरोक्त माल लेकर चलता हैं तो किसी से सम्पर्क नही करता जब तक कि माल को तयशुदा जगह पर जिसको डिलीवरी देनी है उसे पंहुचा न दें। इस बार माल की डिलिवरी गाजियाबाद में देने की बात हुई थी। पूछताछ पर यह भी बताया कि वह पिछले कुछ समय से दिल्ली एन0सी0आर0 क्षेत्र में अफीम की माँग बढी है। यह काम वह पिछले 01 वर्ष से यह काम कर रहा हैं एवं कई बार माल पंहुचा चुका हैं मादक पदार्थो की तस्करी मे कम समय में ज्यादा फायदा होता है, जिससे राहुल अपने शौक व घर के खर्चे पूरा करता हैं।

अभियुक्त से पूछताछ पर मादक पदार्थों के बिक्री व तस्करी करने वाले अपराधियों के सम्बन्ध में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं। जिसके आधार पर टीमें बनाकर माल बरामदगी व गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी जा रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की पुलिस कार्यवाही से जनपद गाजियाबाद व आस-पास के क्षेत्रों में मादक पदार्थों की बिक्री व उनके सेवन पर रोक लगेगी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1.राहुल कुमार डांगी पुत्र मुसाफिर डांगी निवासी ग्राम लैम्बोईया थाना पथेरगडा जिला चतरा झारखण्ड उम्र करीब 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

1.अफीम 2.160 किलोग्राम कीमत लगभग 55 लाख रूपये

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

क्राइम ब्रान्च पुलिस टीम पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

थाना मुरादनगर पुलिस टीम